न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 13/2022 (2022/116)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

जितेन्द्र औड पुत्र मदनलाल औड, निवासी बाईजी का तालाब मस्जिद के सामने, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री यशवन्त रॉय घारू (अप्रार्थी)

–: आदेश :– दिनांक :– 05.04.2023

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक/कोर्ट/डीएम /2022/1639 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2022 को गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व गैस सिलेण्डरों से गैस भरने के अवैध कार्य की सूचना मिलने पर अप्रार्थी जितेन्द्र ओड़ की फर्म जय अम्बे कल्पना पेंटिग, 3 ए रोड़, जोधपुर पर वास्ते जांच पहुचने पर मौके पर दो घरेलू गैस की टंकिया मय गैस व एक गैस भरने की मशीन पाये गये। मौके पर सिलेण्डर के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक प्रयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने तथा धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उपरोक्त गैस सिलेण्डर मय गैस व एक गैस भरने की मशीन जब्तसात् तथा अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्त रॉय घारू ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 05.04.2023 को सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी ने पूर्णतया गलत एवं मिथ्या आधारों पर उपरोक्त प्रकरण बनाया है तथा अप्रार्थी से झूठी बरामदगी बताई है। अप्रार्थी के गैराज जय अम्बे कल्पना पेंटिग के नाम से है जहां अप्रार्थी वाहनों की रिपेयरिंग का कार्य करता है अप्रार्थी के गैराज से अवैध रूप से जो 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किये गये है वो अप्रार्थी के मिलने वालो के घरेलू सिलेण्डर है। उक्त दोनों गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस के साथ पेश किये गये है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई मिथ्या कार्यवाही को अपास्त कर जब्त सिलेण्डरों को को रिलीज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस भरने की मशीन अप्रार्थी के गैराज से मिली। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक फर्म में रखना भी अवैध भण्डारण की श्रेणी में आता है साथ ही अप्रार्थी के यहां से गैस भरने की मशीन भी प्राप्त हुई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा निम्न 2 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक गैस भरने की मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सीरियल नम्बर	सिलेण्डर पर अंकित वजन (किग्रा में)	सिलेण्डर का वजन (किग्रा में)	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में)
1.	HP GAS	0272609		29.900	14.1
2.	HP GAS	857071	15.70	15.780	-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। एक गैस भरने की मशीन को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:56 IST
Reason: SelfAttested